न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 50 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.श्रीमती गजरी देवी पत्नी स्व0 श्री भानाराम 02.पुखराज पुत्र श्री भानाराम जी 03.रामनिचास पुत्र श्री भानाराम जी जाति विश्नोई निवासीगण गांव भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.पोकरराम पुत्र श्री भूरारामजी जाति विश्नोई निवासीगण धतरवालो की ढाणी गांव भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

4. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापत उपस्थित
5. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता लादूराम पुनिया उपस्थित।

आदेश

दिनांक :– 28/6/2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 160 रकबा 32.1300 बीधा वाके ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी मे आई हुई है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के उतर दिशा मे अप्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 161 आई हुई है। तथा खसरान 161 के उतरी दिशा मे सडक आई हुई है। प्रार्थी खसरान् 161 मे से होते हुए ही मुख्य सडक तक पहुचता है जिसका नजरी नक्शा सलग्न है। इसके अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता या साधन नही है तथा नजरी नक्शा मे वर्णित यह एक ही लधूतम एव निकटतम मार्ग है जो एक मात्र रास्ता हैं। अप्रार्थी प्रार्थी की रिश्तेदारी में ताउ हैं परन्तु अब वे ये रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण बन्द कर देते हैं तथा इसके अलावा प्रार्थीगण की कृषि भूमि लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं तथा यही एकमात्र लघुत्तम एवं निकटतम मार्ग हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को निवेदन भी किया गया कि उपरोक्त रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवायें। परन्तु अप्रार्थी द्वारा आनाकानी की जा रही हैं तथा प्रार्थी को रास्ता नहीं दे रहे है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर नहीं पहुंच पा रहा है। प्रार्थी नियमानुसार राशि भुगतान देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नजरी नक्शे में वर्णितानुसार रास्ता उपलब्ध करवाया जावें तथा राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर मौका पर भी उपलब्ध करवाये जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण की भूमि के लिये अप्रार्थी की भूमि में से रास्ते की मांग गलत हैं। जबकि प्रार्थीगण के लिये खसरा नं. 159 में से रास्ता लगता हैं जो कि लघुत्तम एवं निकटतम रास्ता हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की भूमि में से रास्ते की मांग अनुचित हैं। तथा खसरा नं. 160 का गलत विभाजन हो जाने के कारण अब प्रार्थी गलत रूप से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जबकि खसरा नं. 160 के चिपते खसरा नं. 159 के पास का कटाणी रास्ता मौजूद होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार लूणी के मार्फत मौका रिपोर्ट तलब की जो तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 17.09.2019 की रिपोर्ट मय मौका फर्द दिनांक 03.09.19 प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली में संलग्न की गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दिनांक 26.11.19 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किये जाने पर रिपोर्ट तलब की गयी जो रिपोर्ट संलग्न पत्रावली की गयी।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को आधार बताते हुए निवेदन किया कि उसकी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 160 के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं तथा वे खसरा नं. 161 में से होकर ही रास्ते तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं तथा यहीं एकमात्र लघुत्तम एवं निकटतम मार्ग हैं। नजरी नक्शे से दर्शाया गया है जिसके लिए जो नियमानुसार राशि देने को तैयार हैं तथा साथ ही निवेदन किया कि यदि अप्रार्थी रास्ते में दर्ज होने वाली भूमि के बदले लेवे तो देने को तैयार हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। वकील अप्रार्थी ने बहस में बताया कि प्रार्थी के लिए खसरा नं. 160 के चिपते खसरा नं. 159 के पास स्थित रास्ता प्रार्थी की भूमि के लिये लघुत्तम हैं तथा वहीं से वो आते जाते हैं। इसीलिए खसरा नं. 159 की ओर से रास्ता दिया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी खातेदार को अपनी भूमि में जाने के लिए विशिष्ट रूप से नये मार्ग के प्रावधान हैं जबकि उसके लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव हो तथा जो निकटतम एवं लघुत्तम भी हों। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 160 के लिये वैकल्पिक रास्ते का अभाव बताया हैं तथा तहसीलदार लूणी की प्रस्तुत रिपोर्ट में भी खसरा नं. 160 के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता ना होने की बात उजागर हुई हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को खसरा नं. 160 के लिये कौनसा रास्ता लघुत्तम एवं निकटतम होगा का निर्धारण किया जाना हैं। जहां तक प्रार्थी ने खसरा सं 160 की अपनी खातेदारी की भूमि के लिए खसरा सं. 161 जो कि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि में से नजरी नक्शा अनुसार रास्ते की मांग की हैं जो निकटतम एवं लघुत्तम होने का कथन किया जबकि अप्रार्थी ने खसरा नं 159 के चिपते रास्ते की ओर से रास्ता देने का निवेदन

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

खसरा नं 160 के लिये खसरा नं. 161 की भूमि में से रास्ता लघुत्तम एवं निकटतम होने का अंकन किया। खसरा नं. 160 के एकतरफा खसरा नं. 160/1 एवं उसके आगे खसरा नं. 159 के पास कटाणी रास्ता हैं परन्तु नक्शे में दर्शाये एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार भी उस तरफ से कोई रास्ता नहीं हैं तथा वह लम्बा भी पड़ता हैं जबकि धारा 251–ए लघुत्तम एवं निकटतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान करती हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के लिये तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार वैकल्पिक रास्ता एवं साधन न होने के कारण प्रार्थीगण को खसरा नं. 161 की भूमि में से नजरी नक्शे के अनुसार 30 फीट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। इस परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं तथा प्रार्थीगण को खसरा नं. 160 के लिये खसरा नं. 161 में से नजरी नक्शा एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट मौका फर्द दिनांक 03.09.19 के अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से खसरा नं. 161 में से फर्द मौका दिनांक 03.09.19 का वर्णित भू भाग को रास्ते में दर्ज किये जाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं तथा उक्त भू भाग रकबा 340 गुणा 30 फीट अर्थात 10200 वर्गफीट यानि 0.11.14 बीघा भूमि गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज की जाने तथा उक्त भू भाग का नियत हैं जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित डीएलसी की दुगुनी राशि अप्रार्थी को अदा करें या तहसील कार्यालय लूणी में अप्रार्थी हेतु जमा करवावें। तहसीलदार लूणी उक्त भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज कर मौके पर रास्ता कायम किया जावें और प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी, (जोधपुर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी